

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम, जिला-कबीरधाम (छ0ग0)

--विविध आदेश--

क्रं.-क्यू/मु.न्या.मजि./2025

कबीरधाम दिनांक-17.09.2025

मैं कु रूपल अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम(छ.ग.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) एवं 13(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कु. वर्षा गुर्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कवर्धा, जिला-कबीरधाम होने के परिणामस्वरूप कार्य विभाजन आदेश क्रं.-क्यू/मु.न्या. मजि./2025, कबीरधाम, दिनांक 06-09-2025 में निम्नानुसार संशोधन करती हूं, जो तत्काल प्रभावशील होगा -

(1) सरल क्रं.-05 के स्तंभ क्रं.-02 में उल्लेखित प्रविष्टि कु. वर्षा गुर्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कवर्धा, कबीरधाम को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर कु. वर्षा गुर्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कवर्धा, जिला-कबीरधाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

(2) तालिका क्रं.-01(अत्यावश्यक कार्यों का निष्पादन) में प्रत्येक स्थान पर उल्लेखित कु. वर्षा गुर्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कबीरधाम को संशोधित करते हुए उनके स्थान पर कु. वर्षा गुर्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कवर्धा, जिला-कबीरधाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

(3) तालिका क्रं.-02(धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत कथन एवं संस्वीकृतियां दर्ज करना) में प्रत्येक स्थान पर उल्लेखित कु. वर्षा गुर्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कबीरधाम को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर श्री कु. वर्षा गुर्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कवर्धा, जिला-कबीरधाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

(4) तालिका क्रं.-03(एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 52-क के तहत इन्वेटरी(विवरणी) प्रमाणित करना) में प्रत्येक स्थान पर उल्लेखित कु. वर्षा गुर्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कबीरधाम को संशोधित करते हुए उनके स्थान पर कु. वर्षा गुर्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कवर्धा, जिला-कबीरधाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

स्थान:-कबीरधाम (छ.ग.)


कु रूपल अग्रवाल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कबीरधाम छ.ग.